2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **42 / 2023**

GCMS NO 2023/182

1. कृष्ण कुमार पुत्र हरिराम
2. शेर सिंह पुत्र हरिराम

   जाति अहीर निवासीगण रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

..................प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. अमित कुमार पुत्र रघुवीर सिंह
2. आशीष पुत्र रघुवीर सिंह
3. रामभरोस पुत्र रामचन्द्र
4. विक्रम पुत्र रामचन्द्र

   जाति अहीर निवासीगण रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

5. दुर्गा प्रसाद पुत्र जयमल
6. घीसी देवी पत्नी रामकिशन
7. पूर्णमल पुत्र प्रहलाद
8. माली देवी पत्नी अभय सिंह
9. रामचन्द्र पुत्र अमीचन्द
10. सन्त कुमार पुत्र गिरधारी लाल
11. सावित्री देवी पत्नी हजारी लाल

    समस्त जाति गूर्जर निवासीगण रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

12. राज्य सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)
13. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

..................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महीपाल दौराता	अभिभाषक	प्रार्थीगण
2. श्री बजरंग सिंह निर्वाण	अभिभाषक	अप्रार्थी संख्या 3,4,9

–: निर्णय :– दिनांक :– **08–04–2024**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 02.06.2023 को इस आशय का पेश किया गया कि :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद पत्र न्या[illegible] है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी [illegible]
2. यह कि वाके ग्राम रवां पटवार हल्का रवां तहसील [illegible] में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 हाल खाता संख्या 02 के हाल ख[illegible] नम्बर 345 रकबा 0.20 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर में प्रार्थी [illegible] संख्या 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जिला [illegible]

हिस्सा 1/5 एवं शेष हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 05 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा प्रार्थी का कब्जा उत्तर दिशा में स्वयं के मकानों से सटकर है जिसमें प्रार्थी का 0.04 हेक्टेयर पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

3. यह कि वाके ग्राम रवां, पटवार हल्का रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं (राज0) में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 हाल खाता संख्या 247 के हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 5.31 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 हेक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 एवं शेष हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है तथा उसकी उपज का आपस में हिस्से के अनुसार बंटवारा कर लेते है। उक्त आराजीयात का बंटवारा नहीं हुआ है। वर्तमान में उक्त आराजीयात का खाता सामलाती है। प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कब्जा है।

5. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 वादान्तर्गत भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर, खुर्द बुर्द करने व तामिर कार्य कर प्रार्थीगण के चले आ रहे शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

6. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 11 चालाक किस्म के लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृति के प्रभावशाली व्यक्ति है तथा संख्या में अधिक है। प्रार्थीगण सीधे–सादे तथा कानून में आस्था विश्वास रखने वाले शान्ति प्रिय व्यक्ति है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 जबरन लठ के बल पर यदि प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने में नापाक मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा एवं कई एक कानूनी पेचीदगियां पैदा होगी तथा लड़ाई झगड़ा होगा एवं अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी जिससे प्रार्थीगण को ऐसी हानि होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं हो सकता और प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी।

7. यह कि प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

8. यह कि शपथ पत्र प्रार्थी संलग्न है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करें कि वाके ग्राम रवां पटवार हल्का रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2076 हाल खाता संख्या 02 के हाल खसरा नम्बर 345 रकबा 0.20 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर में तथा वाके ग्राम रवां पटवार हल्का रवां तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 हाल खाता संख्या 247 के हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 5.31 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 हेक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 [illegible] 1/6 की भूमि का जब तक विधिनुसार खाता विभाजन न हो तब तक [illegible] भाग या अंश पर कब्जा ना करें, खुर्द बुर्द ना करें, तामिर [illegible] बंधक, विक्रय, रहन, हस्तान्तरण आदि न करें और [illegible] करावें ऐसा वे न स्वयं करें, ना ही अपने मित्रों, अनुचरों व रिश्तेदारों आदि से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested

(ख) अनावेदक संख्या 13 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अनावेदकगण संख्या 3, 4, 9 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले किसी विक्रय पत्र या हस्तान्तरण विलेख को तस्दीक ना करें। ऐसा ना तो अनावेदक संख्या 13 स्वयं ही करें ना ही अपने अधिनरथ कर्मचारी से ही करवाये।

(ग) अनावेदक संख्या 12 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि तादौराने दावा राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करें। निर्माण कार्य न करें। अनावेदक संख्या 3 रामभरोस है। अनावेदक संख्या 4 विक्रम है एवं अनावेदक संख्या 9 रामचन्द्र है। चूंकि मामला अत्यावश्क प्रकृति का है इसलिए अनावेदकगण को तुरन्त जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 व 11 से 13 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश मुख्य रूप से अप्रार्थी संख्या 3, 4, 9 के विरूद्ध होने से अप्रार्थी संख्या 1, 2, 10 की तलबी की लम्बित कार्यवाही बन्द की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने, अप्रार्थी संख्या 3 व 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब को ही अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण के उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या 3 व 9 की ओर से दिनांक 21.08.2023 को जरिये अधिवक्ता इस आशय का जवाब पेश हुआ कि :—

1. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 1 में वाद पत्र पेश करना स्वीकार है, शेष अस्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 2 में अप्रार्थी संख्या 9 का हिस्सा होना स्वीकार है शेष जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/3 हिस्सा है जो मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 काबिज है। प्रार्थीगण भी अपने हिस्से की भूमि में मकान बनाकर काबिज व आबाद है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 4 गलत होने से स्वीकार नहीं, सभी सहखातेदारान ने आपसी सहमति से बात कर मौके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर लिया व प्रार्थीगण कृष्ण व शेरसिंह व अमित व आशीष तथा रामभरोस व विक्रम ने अपने—अपने हिस्से पर बोरिंग का निर्माण कर लिया व उसी आपसी बंटवारे के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 5 गलत व झूंठा होने से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपने हिस्से में बंटवारे में आई हुई भूमि पर ही अपने पशुओं व चारे के लिए कमरें का निर्माण कर रहे है जहां पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की बोरिंग है, प्रार्थीगण के मकान, प्रार्थीगण के हिस्से में आयी भूमि में पूर्व से बने हुये है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपने हिस्से में अपनी भूमि को उपयोग व उपभोग करने का स्वतंत्र है जिसे रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र का खण्ड संख्या 6 गलत व झूंठा होने से स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 कानून में विश्वास रखने वाले शान्ति प्रिय व्यक्ति है जो अपने हिस्से में आपसी बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमि में पशुओं व चारे के लिए निर्माण कार्य कर रहे है जिसका उपयोग उपभोग का उनको पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण अपने मकान पूर्व से बनाकर अपने हिस्से में आई भूमि का उपयोग कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अपने हिस्से में आई भूमि में बोरिंग भी करा रखी है। इदस भूमि में जो बोरिंग है

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:30:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

उसमें विधुत कनेक्शन भी अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 अपने हिस्से पर निर्माण कार्य करने व उपयोग उपभोग करने को स्वतंत्र है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2076–2079 खाता संख्या नया 2 व 247 राजस्व ग्राम रवां पेश की गई। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई।

अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 की ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नहीं हुई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 राजस्व ग्राम रवां पटवार मण्डल रवां के नया खाता संख्या 2 के खसरा नम्बर 345 रकबा 0.20 हेक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार अप्रार्थीगण का है। खाता संख्या नया 247 के खसरा नम्बर 343 रकबा 0.01 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 344 रकबा 5.31 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 हेक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार अप्रार्थीगण का है।

प्रार्थीगण के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 के विरूद्ध मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करें कि वाके ग्राम रवां पटवार हल्का रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2076 हाल खाता संख्या 02 के हाल खसरा नम्बर 345 रकबा 0.20 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 हेक्टेयर में तथा वाके ग्राम रवां पटवार हल्का रवां तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–2079 हाल खाता संख्या 247 के हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 344 रकबा 5.31 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 हेक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 की भूमि का जब तक विधिनुसार खाता विभाजन न हो तब तक किसी भी भाग या अंश पर कब्जा ना करें, खुर्द बुर्द ना करें, तामिर कार्य ना करें, या अन्य किसी भी दान, बंधक, विक्रय, रहन, हस्तान्तरण आदि न करें और ना ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करावें ऐसा वे न स्वयं करें, ना ही अपने मित्रों, अनुचरों व रिश्तेदारों आदि से करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके राजस्व ग्राम रवां पटवार मण्डल रवां की हाल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के हाल खाता संख्या 2 के हाल खसरा नम्बर 345 रकबा 0.20 हेक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार अप्रार्थीगण का है। खाता संख्या नया 247 के खसरा नम्बर 343 रकबा 0.01 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 344 रकबा 5.31 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.32 हेक्टेयर में प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदार अप्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के खण्ड नम्बर 5 में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 वादान्तर्गत भूमि पर जबरन लठ के [illegible] व तामिर कार्य कर प्रार्थीगण के चले आ रहे शान्ति पूर्ण कब्जा काश्त में [illegible] करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध [illegible] उपर्युक्त भूमि की बाबत प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई [illegible] किया है व ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि केवल अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

संख्या 3, 4 व 9 ही वादग्रस्त भूमि के किसी विशेष भू–भाग या सम्पूर्ण भूमि पर कोई कब्जा किया हो या कर रहे है। शेष अप्रार्थीगण क्यों नहीं। विवादित भूमि अविभाजित है तथा प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के जरिये केवल 3 सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा है अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। शपथ पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो कि आराजी मुतनाजा सम्पति जिसके बारे में विवाद है, केवल अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने के खतरे में है या न्याय का उदेश्य विफल करने के अभिप्राय से उस सम्पति का व्ययन करने की धमकी दी हो। खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दावे में तय होगा। पत्रावली पर राजस्व अभिलेख जो प्रस्तुत हुआ है उससे अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 का प्राथमिक दृष्टया अनाधिकृत कब्जा/अतिक्रमण आराजी मुतनाजा सम्पति पर साबित नहीं है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 रिकार्डेड खातेदार है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि मे बाहमी बंटवारे के अनुसार कोई खातेदार अधिकारी को अपने हिस्से की भूमि मे से 1/50 भाग या 500 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र पर निवास गृह, पशुशाला या भण्डार गृह के निर्माण के लिए छूट प्राप्त है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 को उसके भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नही किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो वह मूल खातेदारों के अधिकारो का हनन होगा। सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस के अनुसार जब मामला ही प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया साबित नहीं है तो प्रार्थीगण को कोई अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का संतुलन नहीं है। इस मत से मैं सहमत हूं, कि जब प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 के पक्ष मे है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाते है। विस्तृत निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना उचित होगा। लिहाजा

प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया में साबित ना होने व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रथम दृष्टया मे साबित ना होने व सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 9 के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद संख्या 78/2023 उनवानी कृष्ण कुमार आदि बनाम अमित कुमार आदि GCMS नम्बर 2023/181 के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/4/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:50:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)